न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या– 125/2018/TI

1. पोखरमल पुत्र मालूराम जाति माली निवासी वार्ड नं0 7 रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

बनाम

1. नाथूराम पुत्र बालूराम
2. नाथीदेवी पत्नि नाथूराम
3. केसरदेव पुत्र नाथूराम
4. कमलादेवी पत्नि केसरदेवी
   समस्त जाति माली निवासी वार्ड नं0 1 रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील प्रार्थी की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 21.08.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 10/1569 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 11 रकबा 0.34 है0 किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर वाके ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमियां आवेदक को उसके पिता सें जरिये विरासत प्राप्त हुई है भूमि के पूर्वी दिशा के पड़ौसी अर्थात अनावेदकगण/अप्रार्थीगण जिनको आवेदक ने उक्त भूमि इजारा पर काश्त करने के लिए दी थी परन्तु उन्होने प्रारम्भ में तो आवेदक को समय समय पर देते रहे परन्तु इस वर्ष का इजारा देने सें साफ इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त भूमि तो हमारी है आपको इजारा नहीं देंगे। विवादित भूमियां

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

आवेदक/प्रार्थी के नाम सें है जिस पर आवेदक ने कृषि ऋण भी ले रखा है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्दबुर्द कर निर्माण करने पर आमादा है जबकि इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार सें किया जाना संभव नहीं है। अतः अप्रार्थीगणो को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जाना अतिआवश्यक व न्यायोचित है। आवेदन पत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि विवादित भूमियों को खुर्दबुर्द करने, नवनिर्माण करने नींव सींव को खुर्दबूर्द करने सें अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद फरमाया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं0 1 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। रिकॉर्डेड खातेदार के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में ही है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगणों को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सें तादौराने वाद प्रतिबंधित किया जाता है कि ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 10/1569 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 11 रकबा 0.34 है0 किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner